रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2015/फाल्गुन 8, 1936
No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2015/PHALGUNA 8, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 126(अ).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 में संशोधन करने के लिए और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) नियम, 2015 कहा जाएगा।
 (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 में –
 (i) नियम 9 में अंक “50,000” के स्थान पर अंक "1,50,000” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 (ii) नियम 10 में अंक “10,000” के स्थान पर अंक "25,000” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 11-41/2014-ईई-10]

जे. आलम, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- — मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र के भाग **II**, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 689(अ), दिनांक 9 दिसंबर, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार सा.का.नि. 675 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2011 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Council for Teacher Education Rules, 1997, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Council for Teacher Education (Amendment) Rules, 2015.

 (2) They shall come into force on the date their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education Rules, 1997,—

 (i) in rule 9, for the figure "50,000", the figure "1,50,000" shall be substituted;

 (ii) in rule 10, for the figure "10,000", the figure "25,000" shall be substituted.

[F. No. 11-41/2014-EE.10]
J. ALAM, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section (i) *vide* number. G.S.R. 689(E), dated the 9th December, 1997 and lastly amended by number G.S.R. 675(E), dated the 13th December, 2011.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.